स्थायी वित्त निर्देश 21 / 2025

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 1886 / वित्त / ब–4 / संसा. / 2024 दिनांक 26 / 06 / 2025

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषयः– शासकीय राशि हेतु बैंकों में विनियोजन संबंधी दिशा–निर्देश।
संदर्भः– वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक क्र. 723 / वित्त / स्था. / चार (वित्त निर्देश 24 / 2020) दिनांक 28 अक्टूबर, 2020

----000----

शासन और बैंकों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने तथा बैंकों द्वारा शासकीय योजनाओं में उच्च प्रदर्शन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों के इम्पेनलमेंट संबंधी वित्त निर्देश 24 / 2020 जारी किये गये है।

2. उपर्युक्त संदर्भित वित्त निर्देश के माध्यम से **Ease of Doing Business** हेतु शासकीय राशि बैंक विनियोजन संबंधी प्रावधान लागू किये गये हैं। वित्तीय समावेशन (**Financial Inclusion**) तथा लोक धन की सुरक्षा एवं अभिवृद्धि के दृष्टिगत पूर्व जारी वित्त निर्देश 24 / 2020 को अधिक्रमित करते हुए शासकीय राशि हेतु बैंकों में विनियोजन संबंधी नवीन मार्गदर्शी दिशा–निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किया जाता है।

3. राज्य शासन के विभिन्न प्रशासकीय विभाग / संचालनालय / निकाय / निगम / मंडल / उपक्रम / बोर्ड / पंचायत / ट्रस्ट / सोसायटी / कम्पनी / अकादमी / अथॉरिटी / सार्वजनिक–उपक्रम / विश्वविद्यालय एवं अन्य कोई भी शासकीय संस्था जो किसी भी नाम से जानी जाती है, के द्वारा इस निर्देश अनुसार राशि का संचालनालय संस्थागत वित्त (**O/o DIF**) द्वारा समय–समय पर जारी किये गये बैंक **Empanelment** सूची अनुसार अधिकृत बैंकों में विनियोजन सुनिश्चित किया जाये। शासन के हित में वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों तथा स्थायी वित्त निर्देश 06 / 2024 का पालन किया जाए।

4. राज्य शासन की अंशधारिता होने के कारण प्रदेश में कार्यरत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक इम्पैनलमेंट हेतु स्वतः पात्र होंगे।

5. बैंकविहीन ग्राम में बैंक की शाखा खोलने हेतु प्रयास किया जाये एवं जिला प्रशासन द्वारा बैंक को इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली एवं सुरक्षा संबंधी सुविधा यथा–संभव प्रदान की जाये। शासकीय राशि को ऐसे बैंकों में खाता खोलकर जमा कराने को प्राथमिकता दी जाये। ऐसी स्थिति में बैंक इम्पैनल्ड होने की बाध्यता नहीं है।

6. राज्य शासन निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी समय किसी भी बैंक को इम्पैनलमेंट से हटाने का अधिकार सुरक्षित रखती है:–

(a) यदि बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा/सूचना गलत पाई जाती है।

(b) यदि बैंक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर कोई रिपोर्ट, सूचना, विवरण या किसी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

(c) ग्राहक सेवा के असंतुष्टिपूर्ण मामले में।

(d) यदि कोई सूचीबद्ध बैंक किसी अन्य बैंक से जमा राशि निकालने और उसे अपने खाते में जमा करने के लिए कोई अनैतिक व्यवहार अपनाता है।

(e) यदि बैंक की वित्तीय स्थिति खराब/बिगड़ती पाई जाती है।

(f) यदि बैंक DIF द्वारा जारी निर्देशों का पालन एवं मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराता।

7. बैंकों के इम्पेनलमेंट एवं पात्र बैंकों की सूची (समय–समय पर यथा संशोधित सूची) जारी किये जाने, रिपोर्टिंग फार्मेट एवं डाटा संकलन फार्मेट आदि जारी करने, समीक्षा तथा क्रियान्वयन में आने वाली किसी समस्या के समाधान हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए संचालक, संचालनालय संस्थागत वित्त (DIF) को अधिकृत किया जाता है।

कृपया इन दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग

पृष्ठां.क्र. 1887 / वित्त / ब–4 / संसा. / 2025 दिनांक 26 / 06 / 2025

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर / नवा रायपुर अटल नगर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर –19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव / संचालक बजट / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. संचालक, संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
19. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
20. समस्त प्राचार्य, संभागीय वित्त एव लेखा प्रशिक्षण संस्थान / लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर

    –––––को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

22. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट **https://finance.cg.gov.in** पर अपलोड करने हेतु ।

शीतल शाश्वत

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग